

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): Anti Corruption Bureau, Haryana P.S. (थाना): ACB, Ambala Year (वर्ष): 2022

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0006 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):
25/05/2022 13:14 hrs

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): Date from (दिनांक से): Date To (दिनांक तक):

Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): Time To (समय तक):

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 25/05/2022 Time (समय): 11:40 hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 009 Date and Time (दिनांक और समय): 25/05/2022 12:49 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence

(घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): SOUTH, 85 Km Beat No. (बीट सं.): (s)

(b) Address (पता): Kaithal,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)): KAITHAL (HARYANA)

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): Mukesh Kumar

(b) Father's Name (पिताका नाम): Sita ram

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1986 (d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g)

ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address
(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	Sukhchain colony Begu road, Sirsa, SIRSA, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	Sukhchain colony Begu road, Sirsa, SIRSA, HARYANA, INDIA

(i) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	SI Jaipal			1. kaithal,KAITHAL,HARYANA,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)
------------------	--------------------------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में,
निरिक्षक विजिलेंस
कैथल

श्रीमान जी,

निवेदन यह है कि मैं मुकेश कुमार S% श्री सीता राम निवासी सुखचैन कालोनी बेगू रोड सिरसा का हूँ और पड़िताई का काम करता हूँ मेरा एक सिविल सूट CNR No. HRKHI-000833-2020 NI Act/189/2020 सोमप्रकाश v/s मुकेश कुमार अदालत श्रीमति ईशा गर्ग JMIC CUM Presiding Officer National Lok Adalat गुहला में चल रहा था जिसमें मेरा

अदालत में हाजिर न होने के कारण गिरफ्तारी वारंट अदालत से जारी हो गया था इसी दौरान दिनांक 14.05.2022 को मेरा उपरोक्त केश में अदालत में राजी नामा हो गया था। दिनांक 20.05.22 को मैं दिल्ली गया हुआ था कि मेरे बड़े भाई कृष्ण कुमार नें M.No. से 8930539104 से मेरे M.No. 9953631147 पर फोन आया और उसने जिस व्यक्ति से मेरी बात करवाई उसने अपना नाम SI जयपाल बताया और कहा कि तुम्हारे खिलाफ अदालत से गिरफ्तारी वारंट जारी किया हुआ है। जो इस सम्बंध में मेरे भाई कृष्ण कुमार नें जयपाल को बता दिया था कि मुकेश का उपरोक्त मामले में दिनांक 14-05-22 को राजीनामा हो गया लेकिन जयपाल ने कहा कि मुझे राजीनामों से कोई लेना देना नहीं है अगर गिरफ्तारी से बचना है तो खर्चा पानी तो देना ही पड़ेगा। फिर दिनांक 23-5-22 को जयपाल के मोबाईल N0 से 9416654410 से मेरे M.No. पर फोन आया और जयपाल ने कहा कि मैंने तेरे मोबाईल व्हाट्स-अप पर गुगल पे No. 90345-85430 भेज दिया है इस No. पर गुगल पे के माध्यम से रिश्त की राशि 2000/- रु डाल दो मैंने जयपाल से कहा कि मैं 1000/- रु डाल देता हूँ लेकिन जयपाल नें कहा कि 2000/-रु डलवा देना। इस सम्बंध में हमारी बातचीत की रिकार्डिंग की CD बनवा कर आपको पेश कर दी है। मैं जयपाल को 2000 रु बतौर रिश्त नहीं देना चाहता यदि मैं जयपाल को मैं 2000/- रु गुगल पे नहीं करूंगा तो वह मुझे गिरफ्तार कर लेगा। जयपाल गिरफ्तारी वारंट पर कार्यवाही न करने की एवज में मेरे से 2000/- रु बतौर रिश्त मांग रहा है उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए।

प्रार्थी

मुकेश कुमार

9953631147

कार्यवाही पुलिस:- आज मन निरीक्षक साथी कर्मचारियों के साथ हाजिर कार्यालय राज्य चौकसी ब्यूरो उपकेन्द्र कैथल हूँ कि श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री सीता राम वासी गली न.1, बेगू रोड, सुखचैन कालोनी, सिरसा नें हाजिर कार्यालय आकर एक स्वयं लिखी शिकायत मय सी0डी0 (रिकार्डिंग) व एक व्हाट्सअप स्क्रीन शाट जिसमें आरोपी उ0नि0 जयपाल द्वारा शिकायतकर्ता मुकेश कुमार के व्हाट्सअप पर गुगल पे मो.न. 9034585430 भेजा गया है। जिसमें रिश्त की राशि गुगल पे करने के लिये कहा गया है मन निरीक्षक को पेश किये जिस पर मन निरीक्षक नें शिकायतकर्ता द्वारा मोबाईल में की गई रिकार्डिंग सुननें उपरांत उच्च अधिकारीगण से इस विषय पर विचार विमर्श किया गया। जिसमें प्राप्त दिशा निर्देश अनुसार व मजबूत दरखास्त उपरोक्त से व मोबाईल रिकार्डिंग से उप निरीक्षक जयपाल द्वारा सरकारी काम की एवज में 2000/- रु की रिश्त राशि मांगने पर उसके विरुद्ध धारा 7 पी.सी. एक्ट 1988 सरजद होना पाया गया है। जिस पर तहरीर हजा लिखकर बजरिया व्हाट्सअप एम.ए.एस.आई. निर्भय सिंह के मोबाईल न. 9466289050 बराये करवाने कायमी मुकदमा दर्ज प्रबंधक थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, अम्बाला की सेवा में भेजी जा रही है। अभियोग अंकित करके न0 अभियोग से सूचित किया जाये व स्पेशल रिपोर्ट इलाका मैजीस्ट्रेट कैथल व अफसार बाला की सेवा में भिजवाई जाये। मन निरीक्षक तफतीश में व्यस्त हूँ।

अज:- कार्यालय राज्य चौकसी ब्यूरो, उपकेन्द्र कैथल।

समय: 11:40 AM

हस्ताक्षर अंग्रेजी निरीक्षक सुरेश कुमार

रा.चौ.ब्यूरो, उपकेन्द्र कैथल।

दिनांक 25.05.2022

अज थाना – लिखित लेख उपरोक्त बाजूम उपरोक्त थाना मे प्राप्त होने पर मुकदमा न. 06 दिनांक 25.05.2022 धारा 7 पी.सी एक्ट-1988 थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, अम्बाला मण्डल अम्बाला अंकित किया जाकर अभियोग की स्पेशल रिपोर्ट व नकल मिसल पुलिस मय असल लेख बादस्त सिपाही सुरेश कुमार न. 517/अम्बाला के निजद इलाका मैजीस्ट्रेट साहब कैथल व निजद अनुसंधानकर्ता घटना स्थल का किया जा रहा है। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां सम्बन्धित की सेवा में डाक के माध्यम से भिजावाई जायेंगी। इन्द्राज रिकार्ड थाना विधिनुसार किया गया।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1)

Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)

- (2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Suresh Kumar Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 50 to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

- (3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

- (4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

Name (नाम): ajay

Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendent of Police)

No. (सं.): hps

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Error: Subreport could not be shown.

